

Court of ACJM-1, Biraul

Biraul P.S.- 374/16

G.R.- 852/16

18.09.2020

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 504, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. रोहित पासवान 2. राम सती देवी, जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त 1. रोहित पासवान 2. राम सती देवी, के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार आरोप-पत्रित अभियुक्त 1. रोहित पासवान 2. राम सती देवी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करे।

दिनांक 20.10.2020 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम